

संशोधित बजट आवंटन आदेश- 73

इस कार्यालय के बजट आवंटन आदेश संख्या -31 क्रमांक 4724-4795 दिनांक 23.06.2022, आदेश संख्या-53 क्रमांक 6816-30 दिनांक 16 09.2022, आदेश संख्या-55 क्रमांक 6873 दिनांक 22.09.2022 एवं आदेश संख्या-58 क्रमांक 7233-7301 दिनांक 19.10.2022 के द्वारा ए.पी. ओ. आईटम संख्या 53 : **Providing SIM based Internet facility to field staff for monitoring of plantation through various applications /portals of the Department** में आवंटित बजट के अतिरिक्त निम्नानुसार बजट मद में बजट आवंटन कर आवंटित कार्यो को पूर्ण कराने हेतु अधिनरथ वन मण्डलों को **IFMS** के माध्यम से व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

2406-04-103-04-01-12
2406- Forest & wildlife
04-Afforestation and Ecology Development
103- State Compensatory Afforestation (SCA)
(04)- Net Present value of forest land
(01)- Compensatory Afforestation
12 - Grant in Aid (Other than Salary)

(राशि रु. लाखों में)

APO Item No. 53 : Providing SIM based Internet facility to field staff for monitoring of plantation through various applications/portals of the Department

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	Number of Employees	Total Amount	Amount Being Released be for	Amount being Released now	Total Amount Released	Remarks
1	उप वन संरक्षक अजमेर	105	3.15000	2.36250	0.78750	3.15000	अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी, राजस्थान, जयपुर के यू.ओ.नोट क्रमांक 813 दिनांक 15.06.2022 के क्रम में
2	उप वन संरक्षक भीलवाड़ा	105	3.15000	2.36250	0.78750	3.15000	
3	उप वन संरक्षक नागौर	76	2.28000	1.71000	0.57000	2.28000	
4	उप वन संरक्षक टोंक	72	2.16000	1.62000	0.54000	2.16000	
5	उप वन संरक्षक भरतपुर	82	2.46000	1.84500	0.61500	2.46000	
6	उप वन संरक्षक धौलपुर	69	2.07000	1.55250	0.51750	2.07000	
7	उप वन संरक्षक करौली	92	2.76000	2.07000	0.69000	2.76000	
8	उप वन संरक्षक सवाईमाधोपुर	17	0.51000	0.38250	0.12750	0.51000	
9	उप वन संरक्षक बीकानेर	67	2.01000	1.50750	0.50250	2.01000	
10	उ.व.सं. इ.गा.न.परि. स्टे- II बीकानेर	59	1.77000	1.32750	0.44250	1.77000	
11	उ.व.सं.इ.गा.न.परि. स्टे- I छतरगढ़	39	1.17000	0.87750	0.29250	1.17000	
12	उप वन संरक्षक चूरु	68	2.04000	1.53000	0.51000	2.04000	
13	उप वन संरक्षक श्री गंगानगर	91	2.73000	2.04750	0.68250	2.73000	
14	उप वन संरक्षक वन्य जीव बीकानेर	20	0.60000	0.45000	0.15000	0.60000	
15	उप वन संरक्षक हनुमानगढ़	85	2.55000	1.91250	0.63750	2.55000	
16	उप वन संरक्षक बाड़मेर	99	2.97000	2.22750	0.74250	2.97000	
17	उप वन संरक्षक जैसलमेर	62	1.86000	1.39500	0.46500	1.86000	
18	उ.व.सं.इ.गा.न.परि. स्टे- II जैसलमेर	87	2.61000	1.95750	0.65250	2.61000	
19	उप वन संरक्षक जालौर	70	2.10000	1.57500	0.52500	2.10000	
20	उप वन संरक्षक जोधपुर	99	2.97000	2.22750	0.74250	2.97000	
21	उप वन संरक्षक पाली	55	1.65000	1.23750	0.41250	1.65000	
22	उप वन संरक्षक सिरोही	69	2.07000	1.55250	0.51750	2.07000	
23	उप वन संरक्षक जयपुर	78	2.34000	1.75500	0.58500	2.34000	
24	उप वन संरक्षक अलवर	89	2.67000	2.00250	0.66750	2.67000	
25	उप वन संरक्षक दौसा	81	2.43000	1.82250	0.60750	2.43000	
26	उप वन संरक्षक जयपुर उत्तर	73	2.19000	1.64250	0.54750	2.19000	
27	उप वन संरक्षक झुंझुनू	72	2.16000	1.62000	0.54000	2.16000	
28	उप वन संरक्षक सीकर	88	2.64000	1.98000	0.66000	2.64000	
29	उप वन संरक्षक कोटा	95	2.85000	2.13750	0.71250	2.85000	
30	उप वन संरक्षक बारां	113	3.39000	2.54250	0.84750	3.39000	
31	उप वन संरक्षक बूंदी	65	1.95000	1.46250	0.48750	1.95000	
32	उप वन संरक्षक झालावाड़	105	3.15000	2.36250	0.78750	3.15000	
33	उप वन संरक्षक उदयपुर(उत्तर)	103	3.09000	2.31750	0.77250	3.09000	
34	उप वन संरक्षक बांसवाड़ा	111	3.33000	2.49750	0.83250	3.33000	

35	उप वन संरक्षक चित्तौडगढ	91	2.73000	2.04750	0.68250	2.73000
36	उप वन संरक्षक झुंजरपुर	73	2.19000	1.64250	0.54750	2.19000
37	उप वन संरक्षक प्रतापगढ	125	3.75000	2.81250	0.93750	3.75000
38	उप वन संरक्षक उदयपुर	162	4.86000	3.64500	1.21500	4.86000
39	उप वन संरक्षक वन्य जीव भरतपुर KNP	42	1.26000	0.94500	0.31500	1.26000
40	उ.व.सं. एवं उ.क्षे.नि.(प्रथम)रणथम्भौर बाघ परि. सवाईमाधोपुर	89	2.67000	2.00250	0.66750	2.67000
41	उ.व. सं. वन्य जीव चम्बल अभ्यारण्य सवाईमाधोपुर	45	1.35000	1.01250	0.33750	1.35000
42	उ.व.सं. एवं उ.क्षे.नि.(द्वितीय) रणथम्भौर बाघ परि. करौली	69	2.07000	1.55250	0.51750	2.07000
43	उप वन संरक्षक वन्य जीव जोधपुर	47	1.41000	1.05750	0.35250	1.41000
44	उप वन संरक्षक वन्य जीव आबू पर्वत सिरोही	33	0.99000	0.74250	0.24750	0.99000
45	उप वन संरक्षक वन्य जीव जैसलमेर	41	1.23000	0.92250	0.30750	1.23000
46	उप वन संरक्षक वन्य जीव जयपुर	52	1.56000	1.17000	0.39000	1.56000
47	उ.व.सं. एवं उ.क्षे.नि. बाघ परियोजना सरिस्का अलवर	103	3.09000	2.31750	0.77250	3.09000
48	उप वन संरक्षक वन्य जीव चिडियाघर जयपुर	69	2.07000	1.55250	0.51750	2.07000
49	उप वन संरक्षक वन्य जीव कोटा	35	1.05000	0.78750	0.26250	1.05000
50	उप वन संरक्षक मुकुन्दरा राष्ट्रीय उद्यान कोटा	82	2.46000	1.84500	0.61500	2.46000
51	उप वन संरक्षक, एवं उ.क्षे.नि. (कोर) रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व बूंदी	50	1.50000	1.12500	0.37500	1.50000
52	उप वन संरक्षक वन्य जीव उदयपुर	74	2.22000	1.66500	0.55500	2.22000
53	उप वन संरक्षक वन्य जीव चित्तौडगढ	71	2.13000	1.59750	0.53250	2.13000
54	उप वन संरक्षक वन्य जीव राजसमन्द	170	5.10000	3.82500	1.27500	5.10000
55	उप वन संरक्षक अनुसंधान जयपुर	16	0.48000	0.36000	0.12000	0.48000
	योग	4200	126.00000	94.50000	31.50000	126.00000

* Term and conditions for Internet Connectivity

- Budget is proposed (as per column 5) for providing 4G SIM base internet data facility to field staff (forest Guard, Assistant Forester, Forester Range officer, ACF and Field related Staff.
- Budget must be utilised for the items in the financial year 2022-23.
- It is very essential to send utilisation certificate (uc) after completion the work. UC to be sent to APCCF CAMP A with CC TO APCCF IT.
- The facility should be provided to field staff for current financial year 2022-23
- All codal formalities for procurement mandated by Government of Rajasthan must be followed.
- Mobile number may be recharged for internet data plan based on availability of good connectivity in your area. Also assure that this number is linked with SSO ID of the employee.
- इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ.14()ए.पी.ओ./2022-23/कैम्पा/अप्रनुवसं/2915-27 दिनांक 18.05.2022 में वर्णित शर्तों की अनुपालना किया जाना सुनिश्चित हो।
- उप वन संरक्षकगण कृपया सुनिश्चित करें कि कैम्पा मद के अर्न्तगत आवंटित बजट का व्यय अनुमोदित कार्य योजना/वन्य जीव प्रबंधन योजना में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार ही करें।
- आवंटित बजट का व्यय कैम्पा Guidelines o Compensatory Afforestation Fund Act. 2016 (CAF act) तथा Compensatory Afforestation Fund Rules, 2018(CAF rules). के प्रावधानों के अर्न्तगत किया जावे।
- ए.पी.ओ. वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित कार्यों पर ही कार्य कराया जाना सुनिश्चित हो एवं आवंटित बजट से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।
- उक्त आवंटन के विरुद्ध यदि किसी राशि का उपयोग संभव नहीं हो तो राशि शीघ्र इस कार्यालय को मय औचित्य समर्पित कर दी जावे।
- आवंटित बजट की राशि का आहरण केवल तभी किया जाये जब स्वीकृत कार्य से सम्बन्धित व्यय का भुगतान किया जाना हो।
- आवंटित राशि जिस उद्देश्य/कार्य के लिए आवंटित की गई है उसी उद्देश्य/कार्य के लिए नियमानुसार व्यय की जावे तथा इसमें किसी भी तरह का प्रशासनिक व्यय सम्मिलित नहीं किया जावे।
- कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी की जावे।समस्त कार्यों के लेखा एवं अन्य रिकॉर्ड Manual of Guidelines and Accounting procedures relating to State CAMP A/ IFMS Accounting Rules एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुरूप कैम्पा का लेखा कॉंपरिट अकाउंटिंग के आधार पर सीएजी द्वारा प्रेषित प्रपत्रों में संघारित करें। लेखों की ऑडिट महालेखाकार द्वारा की जावेगी।
- उप वन संरक्षक प्रत्येक माह की 5 तारीख तक व्यय का मासिक लेखा अपने नियंत्रक अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।
- संबन्धित मुख्य वन संरक्षक उनके अधीन वन मण्डलों से 5 तारीख तक लेखा प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह की 10 तारीख तक समस्त वन मण्डलों के लेखे संकलित कर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्रों में अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा कैम्पा अर्न्तगत कराये जा रहे कार्यों के रजिस्टर का संधारण कार्यालय मुख्य वन संरक्षक स्तर पर भी कराया जावे।
- बजट उपयोग के संबंध में समय-समय पर इस कार्यालय राज्य सरकार द्वारा प्रसारित समस्त दिशा निर्देशों की पालना की जावे।
- कैम्पा से आवंटित बजट उन्हीं कार्यों पर व्यय किया जावे जहां अन्य योजनाओं के इसी प्रकार के कार्य प्रस्तावित नहीं हों, जिससे योजनाओं के परस्पर Overlapping से बचा जा सकें।

- 19 कैम्पा मद में सामग्री क्रय की कार्यवाही राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधानों के ही तहत की जावेगी तथा क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज विभागीय स्टोर पंजिका में किया जावे एवम् विभाग की प्रचलित प्रकृति अनुसार लेखा-जोखा रखा जावेगा।
- 20 कैम्पा मद के अर्न्तगत नये कार्यस्थलों की सूची मय GPS Coordinates के ई-ग्रीनवॉच पोर्टल पर अपलोड करना तथा सूचना भिजवाना सुनिश्चित किया जावे।

S.M.K.
(शिखा मेहरा)
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
राजस्थान, जयपुर।

01/02

क्रमांक: एफ.14()कैम्पा/अप्रमुवसं/लेखा/ब.आ./2022-23/ **8867-8940**

दिनांक: **19-01-2023**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), राजस्थान, जयपुर।
- 2 अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी, राजस्थान, जयपुर
- 3 मुख्य वन संरक्षक -अजमेर/भरतपुर/बीकानेर/जोधपुर/जयपुर/कोटा/उदयपुर/वन्य जीव जोधपुर/वन्य जीव सरिस्का अलवर/ वन्य जीव जयपुर/वन्य जीव कोटा/वन्य जीव उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि समय-समय पर कैम्पा के कार्यों का निरीक्षण करें एवं राशि जिस कार्य हेतु आवंटित की जा रही है उसी कार्य पर व्यय किया जाना तथा वांछित रिकार्ड पूर्ण करवाना भी सुनिश्चित करवायें।
- 4 उप वन संरक्षक- अजमेर/भीलवाड़ा/नागौर/टोंक/भरतपुर/धौलपुर/करौली/सवाई माधोपुर/बीकानेर/इ.गा.न.परि. स्टेज-II बीकानेर / इ.गा.न.परि. स्टेज-I छतरगढ़/चूरु/हनुमानगढ़/श्री गंगानगर/वन्य जीव बीकानेर/ बाड़मेर/जैसलमेर/इ.गा.न.परि. स्टेज-III जैसलमेर/जोधपुर/जालौर/पाली/सिरोही/जयपुर/अलवर/दौसा/जयपुर उत्तर/झुंझुनू/ सीकर/कोटा/बारां/बूंदी/झालावाड़/उदयपुर उत्तर/बांसवाड़ा/चित्तौड़गढ़/झुंझुनू/प्रतापगढ़/उदयपुर/अनुसंधान, जयपुर/वन्य जीव भरतपुर/उ.क्षे.नि. (प्रथम) रण. बाघ परि. सवाई माधोपुर/उ.क्षे.नि. (द्वितीय) रण. बाघ परि. करौली/वन्य जीव चम्बल अभ्यारण्य सवाईमाधोपुर/वन्य जीव जयपुर/सरिस्का अलवर /चिडियाघर, जयपुर /वन्य जीव जोधपुर/वन्य जीव जैसलमेर /वन्य जीव आबू पर्वत सिरोही/वन्य जीव कोटा/वन्य जीव एम.एन. पी. कोटा/उ.क्षे.नि. (कोर) रामगढ़ विषधारी टाईगर रिजर्व बूंदी/वन्य जीव उदयपुर/वन्य जीव चित्तौड़गढ़/वन्य जीव राजसमंद।
- 5 सहा. सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय हाजा (CAMP) को मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन में संकलन किये जाने हेतु।
- 6 सूचना सहायक कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 7 लेखा शाखा कार्यालय हाजा/रक्षित पत्रावली।

S.M.K.
(अभिषेक शर्मा)
उप वन संरक्षक (कैम्पा),
राजस्थान, जयपुर।

01/02